



राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बोकारो

आदेश

बोकारो जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(3) एवं 5(1) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार 'धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है'।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं बोकारो जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

Arati Kri Mishra
16.03.15
जिला कार्यक्रम सहायक,
NTCP, बोकारो

Rajashree R. Singh
16.3.15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP, बोकारो

असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0
सह सदस्य -सचिव,
बोकारो

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
बोकारो

ज्ञापांक.....*54/NTCP*...../बोकारो दिनांक.....*24/3/15*.....

- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बोकारो/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, बोकारो/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बोकारो/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, बोकारो/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोकारो/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बोकारो/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बोकारो/सभी सी0डी0पी0ओ0, बोकारो/श्रम अधीक्षक, बोकारो/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बोकारो/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, बोकारो/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो एवं पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : बोकारो जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रशासक, बोकारो नगर निगम, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : श्री दीपक मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, Socio Economic and Educational Development Society (SEEDS) एवं श्री प्रणय लाल, तकनीकी सलाहकार The Union, New Delhi को सूचनार्थ प्रेषित

Arati Kri Mishra
16.03.15
जिला कार्यक्रम सहायक,
NTCP, बोकारो

Rajashree R. Singh
16.3.15
जिला नोडल पदाधिकारी,
NTCP, बोकारो

असैनिक शल्य सह चि0 मु0 चि0 पदा0
सह सदस्य -सचिव,

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम